राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, बिहार

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम एक केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम है। कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु एन0आर0एच0एम0 के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। कुष्ठ मरीजों के लिए बहु चिकित्सा प्रणाली की दवा (MDT drug) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत सरकार के माध्यम से मुफ्त प्राप्त होती है।

कुष्ठ रोग एक अल्पसंक्रामक रोग है जो माईक्रो वैक्टीरियाम लैप्री नामक जीवाणु से होता है। 1980 के पूर्व कुष्ठ रोग का इलाज हेतु मात्र एक दवा ड्रौप्सन था लेकिन वर्ष 1980 के दशक के बहुचिकित्सा प्रणाली के प्रारंभ होने से कुष्ठ रोग के निदान में क्रांति सा आ गई है। इस प्रणाली के अन्तर्गत कुष्ठ रोगियों को छः माह से एक साल तक चिकित्सा उपलब्ध करा देने पर कुष्ठ रोग पूर्णतः ठीक हो कर रोगमुक्त हो जाते है। शीघ्र रोगी की पहचान कर दवा खिला देने पर विकलागंता नही होती है।

बिहार राज्य के बहुचिकित्सा प्रणाली वर्ष 1996–97 से लागू की गई। उस समय से अभी तक राज्य में करीब 15.36 लाख से ज्यादा कुष्ठ रोगियों को रोगमुक्त किया जा चुका है। कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम का लक्ष्य कुष्ठ के रोगियों का प्रसार दर एक या एक से कम प्रति 10,000 जनसंख्या पर लाना है।

माह जनवरी 2011 में बिहार राज्य का प्रसार दर 1.14 प्रति 10,000 जनसंख्या है। जबकि पिछले वर्ष 2010 में रोग प्रसार दर 1.21 प्रति 10,000 जनसंख्या थी।

वैसे रोगी जो ससमय चिकित्सा नहीं लेते है उनमें विकलांगता का भय रहता है। विकलांग कुष्ठ रोगियों की विकलांगता को ठीक करने के लिए पुनर्शल्य चिकित्सा (Recoustructive Surgery) की व्यवस्था है जो दी लेप्रोसी मिशन अस्पताल मुजफ्फरपुर, पटना मेडिकल अस्पताल एवं दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मुफ्त उपलब्ध है।

रोगियों की पहचान, जाँच एवं निदानः–

वर्ष 2000 के पूर्व कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम अलग से चलाया जा रहा था लेकिन वर्ष 2000 में कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम का समेकीकरण (Integration) सामान्य स्वास्थ्य सेवा संरचना में कर दिया गया है। वर्तमान में राज्य के सभी जिला अस्पतालों, अनुमंडलीय अस्पतालों, रेफरल अस्पतालों, प्राथमिक/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में कुष्ठ रोग की जाँच निदान एवं चिकित्सा की

सुविधा प्रत्येक कार्य दिवस में उपलब्ध है तथा कुष्ठ से प्रभावित रोगियों को एम0डी0टी0 की दवा मुफ्त में बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध कराया जा रहा है।

दवा की उपलब्धता:– राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं जिला अस्पतालों से लेकर स्वास्थ्य उपकेन्द्रों, सरकारी एवं गैर सरकारी स्वास्थ्य इकाईयों में प्रर्याप्त मात्रा में एम0डी0टी0 दवा उपलब्ध है, जो कुष्ठ रोगियों को मुफ्त दी जाती है।

वर्ष 2010–2011 (जनवरी 11) तक कार्यक्रम की उपलब्धियाँ:

- वर्ष 2010–11 (अप्रैल 10 से जनवरी 11) में कुल 16582 नये कुष्ठ रोगियो की जाँच कर चिकित्सा हेतु निबंधित किया गया तथा एम0डी0टी0 चिकित्सा प्रारंभ किया गया है।
- वर्ष 2010–11 (अप्रैल 10– जनवरी 11) में कुल 15957 रोगियों की चिकित्सा उपलब्ध करवाकर रोग मुक्त किया गया ।
- वर्ष 2010–11 (जनवरी 2011 में) मात्र 11846 कुष्ठ रोगी निबंधित/चिन्हित हैं जिन्हें एम0डी0टी0 चिकित्सा प्रदान कराई जा रही है।
- वर्ष 2010–11 (जनवरी 2011 में) कुष्ठ रोग प्रसार दर 1.14 प्रति दस हजार है जो पिछले वर्ष की तुलना में कम है (गत वर्ष 2010 में रोग प्रसार दर 1.21 प्रति दस हजार था)।
- वर्ष 2010–11 (जनवरी 2011 तक) 53 कुष्ठ प्रभावित रोगमुक्त रोगियों की पुर्नशल्य चिकित्सा उपलब्ध की गई तथा शारीरिक एवं सामाजिक रूप से सक्षम बनाया गया।

आशा कार्यकत्ताओं का कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम में सहभागिता

राज्य के 19 जिलों में आशा कार्यकर्त्ताओं का कुष्ठ रोगियों की पहचान तथा प्रेषण हेतु उन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया तथा कुल 38295 आशा कार्यकर्त्ता को प्रशिक्षित किया गया।

आशा कार्यकत्ताओं को संदिग्घ कुष्ठ प्रभावित व्यक्तियों को जाँच एवं प्रेषण हेतु सहयोग लिया जा रहा है जिसके अन्तर्गत रोगी सम्पुष्ट होने पर निम्न मानदेय राशि के भुगतान का प्रावधान है:–

- पी0बी0 रोगी–300/– रू0 (100/– रू0 रोग की पुष्टि होने पर तथा 200/– रू0 चिकित्सा पूर्ण होने पर)
- एम0वी0 रोगी–500/– रू0 (100/– रू0 रोग की पुष्टि होने पर तथा 400/– रू0 चिकित्सा पूर्ण होने पर)

कुष्ठ रोग प्रभावित विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायताः–

एम0डी0टी0 चिकित्सा से रोग प्रसार दर लगातार घट रही है। बिलम्ब से कुष्ठ रोगियों के स्वास्थ्य केन्द्र पर आकर चिकित्सा प्रारंभ कराने पर विकलांगता होने की संभावना होती है। कुष्ठ रोग के संबंध में जन समुदाय में प्रचार–प्रसार के माध्यम से जागरूकता पैदा की जा रही है तथा सभी रोगियों की शीघ्र चिकित्सा हेतु प्रेरित किया जा रहा है। यदि किसी रोगी में विकलांगता आ जाती है तो उन्हें शल्य चिकित्सकीय उपचार का परामर्श दिया जाता है तथा रोगमुक्त कुष्ठ रोगियों को पुर्नशल्य चिकित्सा द्वारा विकलांगता से मुक्त किया जाता है। कुष्ठरोगियों के पैर के बचाव के लिए माईक्रोसेल्यूलर रबड़ चप्पले मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। बी.पी.एल. परिवार के लोगों में विकलांगता आने पर उनकी पुनर्शल्य चिकित्सा के दौरान अस्तपाल में रहने पर मजदूरी की हानि होने के एवज में 5000/– की सहायता राशि प्रदान की जा रही है।

कुष्ठ कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की देखभाल की व्यवस्था

राज्य के 11 जिलो में 28 कुष्ठ कॉलोनियो में रहने वाले कुष्ठ रोगियों एवं उनके आश्रितों की देखभाल के लिए जिला में उपलब्ध किसी कर्मी को उत्तरदायी बनाया गया है जो हमेशा इन कॉलोनियो में रहनेवाले रोगियों एवं आश्रितों की जॉच एवं चिकित्सा की व्यवस्था देखेंगे। इन कॉलोनियों के सेल्फकेयर किट उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है तथा कॉलोनियो के सदस्यों से सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाई गई है। इन कॉलोनी में रहने वाले कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्तियों को वृद्धा पेंशन एवं बी.पी.एल. को इन्दिरा आवास उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

स्वास्थ्य शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का कियान्वयनः–

सभी सामान्य स्वास्थ्य सेवा संरचना से संबंधित इकाईयों के पदाधिकारियों एवं कर्मियों को लगातार कुष्ठ रोग की जाँच निदान एवं चिकित्सा की दक्षता बनाये रखने के लिए उन्मुखी कार्यक्रम चलाया जा रहा है तथा सभी स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा लोगों के स्वास्थ्य शिक्षण कुष्ठ रोग के प्रति जागरूकता, अन्धविश्वास मिथ्या भ्रांतियाँ के निदान हेतु अभियान चलाया जा रहा है ताकि कुष्ठ रोग की शंका होने पर स्वास्थ्य संस्थानों/अस्पतालों में जाकर जॉच कराकर शंका मिटा सके तथा कुष्ठ रोग से ग्रसित होने पर स्वतः तत्पर होकर एम.डी.डी. दवा का कोर्स पूरा करें।

महादलित बस्तियों में सर्वेक्षणः

सभी जिलों के प्रखण्डों में चिन्हित महादलित बस्तियो में कुष्ठ से प्रभावित व्यक्तियों की जाँच हेतु कर्मियों को प्राधिकृत कर दिया गया है तो नियमित भ्रमण कर कार्यक्रम का संचार कर रहे हैं।